



क्रमांक / SCERT/NIOS/परीक्षा / 2018 / 4386

रायपुर, दिनांक 20.09.2018

प्रति,

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
2. समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
3. समस्त अध्ययन केन्द्र, SCERTCG- NIOS
4. समस्त परीक्षा केन्द्र, D.El.Ed. परीक्षा केन्द्र - NIOS

विषय:- NIOS द्वारा D.El.Ed. परीक्षा सितम्बर 2018 के संबन्ध में आवश्यक निर्देश।

संदर्भ:- NIOS का पत्र क्र. F-4-1/2018/NIOS/Eval./RC/2875 14 September, 2018.

—000—

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा 25 सितम्बर से 29 सितम्बर 2018 तक प्रारंभिक विद्यालयों में अप्रशिक्षित शिक्षकों हेतु प्रथम वर्ष की सैद्धांतिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा के संबंध में निर्देश -

1. प्रथम परीक्षा मई-जून 2018 में कम उपस्थिति के कारण वंचित प्रशिक्षार्थियों हेतु डाईट में मॉडल स्टडी सेंटर की स्थापना की गई है एवं प्रशिक्षार्थियों हेतु सम्पर्क कक्षाओं का आयोजन किया गया है। अध्ययन केन्द्रों को मॉडल स्टडी सेंटर में प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति को शामिल करते हुए समस्त अध्ययन केन्द्र प्रभारी सुनिश्चित करें कि आपके केन्द्र से 75 प्रतिशत (अर्थात् 15 दिवस संपर्क कक्षाओं में से 11 दिवस कक्षाओं) से कम उपस्थिति की सूची अपने परीक्षा केन्द्र पर उपलब्ध करावें। सैद्धांतिक परीक्षा हेतु कार्यशाला आधारित गतिविधि (WBA) में उपस्थिति को गणना में नहीं लिया जायेगा।
2. किसी अध्ययन केन्द्र से कम उपस्थिति की सूची परीक्षा केन्द्राध्यक्ष को प्राप्त नहीं होती है तो इसका अर्थ होगा कि उस अध्ययन केन्द्र में सभी परीक्षार्थियों की उपस्थिति 75 प्रतिशत से अधिक है।
3. समस्त परीक्षा केन्द्राध्यक्ष प्रश्न पत्र के कस्टोडियन (जिला मजिस्ट्रेट अथवा उनके नामित प्रतिनिधि) से मिलकर प्रश्न पत्रों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें यदि प्रश्न पत्र कम हो तो तत्काल क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान रायपुर से **मो.न. 7987112316 एवं 9910224470** पर संपर्क करें।
4. समस्त परीक्षा केन्द्राध्यक्ष सुनिश्चित करें कि आपको पर्याप्त संस्था में उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त हो गई है। यदि दिनांक 23.09.2018 तक पर्याप्त उत्तर पुस्तिका उपलब्ध नहीं होने पर तत्काल क्षेत्रीय निदेशक NIOS रायपुर से संपर्क करें व उत्तर पुस्तिका डाईट के सहयोग से प्राप्त करें।

5. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़ के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> में परीक्षा से संबंधित विस्तृत निर्देशों का पालन करें।
6. प्रत्येक 40 छात्रों पर दो पर्यवेक्षक नियुक्त किये जायें।
7. प्रश्न पत्र वितरण के तुरंत बाद परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र में रोल नम्बर लिखने का निर्देश दें।
8. किसी भी परीक्षार्थी को आधे घंटा से अधिक विलम्ब होने पर परीक्षा हेतु अनुमति न दें।
9. परीक्षार्थी को एक घंटे तीस मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र छोड़ने की अनुमति न दें।
10. प्रत्येक परीक्षार्थी को केवल एक उत्तर पुस्तिका दी जायेगी, पूरक उत्तर पुस्तिका का प्रावधान नहीं है। अतः परीक्षार्थी को परीक्षा आरंभ के समय ही सूचित कर दें।
11. उपस्थिति पत्रक की कुल तीन प्रतियाँ बनाये, प्रथम प्रति उत्तर पुस्तिका के साथ रखें, दूसरी प्रति अपने पास सुरक्षित रखें एवं तीसरी प्रति कार्यालय में समस्त बिल एवं वाऊचर के साथ अप्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं के साथ जमा करें।
12. सितम्बर 2018 की परीक्षा हेतु परीक्षार्थी के पास NIOS द्वारा जारी किया गया हाल टिकट (Hall Ticket) होना अनिवार्य है। यदि कोई परीक्षार्थी NIOS द्वारा जारी किया गया हाल टिकट (Hall Ticket) प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे परीक्षा हेतु अनुमति नहीं दिया जाना है।
13. परीक्षा प्रारम्भ होने के आधा घंटा पश्चात WhatsApp No. 8448691687 नम्बर पर प्रतिदिवस निम्न जानकारी अवश्य उपलब्ध कराये।
 परीक्षा केन्द्र का कोड : परीक्षा केन्द्र का नाम :
 दर्ज संख्या : उपस्थित संख्या :
14. यदि किसी कारणवश डाकघर से उत्तर पुस्तिकाएँ उसी दिन न भेजी जा सके, तो उसे स्थानीय पुलिस थाने में रखा जाना है। इस हेतु थाना प्रभारी को इस पत्र के संदर्भ में पूर्व में ही सूचित कर दें।

Smita

(डॉ. सुनीता जैन)

अतिरिक्त संचालक

एस.सी.ई.आर.टी., छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 20.09.2018

पृ.क्रमांक / SCERT/NIOS/परीक्षा / 2018 / 4387
 प्रतिलिपि

1. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक सहयोग हेतु।
3. सचिव, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा।
4. निदेशक, (मूल्यांकन) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा।
5. कलेक्टर, जिला- को सूचनार्थ।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला - को आवश्यक सहयोग हेतु।
7. क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, रायपुर।
8. थाना प्रभारी, थाना को सीलबन्द उत्तर पुस्तिका के पैकेट थाने में सुरक्षित रखने हेतु।

Smita

अतिरिक्त संचालक

एस.सी.ई.आर.टी., छत्तीसगढ़